

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-347 / 2012

संस्थित दिनांक-23.04.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा

जिला-बालाघाट (म.प्र.) ----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1-लक्ष्मी प्रसाद पिता बिसराम, उम्र 28 वर्ष,

निवासी-ग्राम भीड़ी, थाना परसवाड़ा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-पन्नालाल पिता तेजराम अमूले, उम्र 45 वर्ष,

निवासी-ग्राम कटंगा, थाना परसवाड़ा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.), ----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/10/2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 341, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-10.03.2012 को दिन के 10:00 बजे ग्राम पोण्डी मेन रोड थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी कुमारी दीपा बघेल को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया कर, फरियादी दीपाबाई को लोकस्थान या उसके समीप फरियादी कुमारी दीपा बघेल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-10.03.2012 को दिन के 10:00 बजे ग्राम पोण्डी मेन रोड थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी दीपा बघेल जब स्कूल पढ़ाने जा रही थी तो आरोपीगण ने फरियादी का रास्ता रोककर अश्लील शब्द उच्चारित कर धमकी दिये कि मनोज चौधरी से विवाह करने पर उसके व उसके परिवार को खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में लिखित शिकायत थाना परसवाड़ा में की गई। उक्त शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-30/2012 अंतर्गत धारा-341, 294, 506, 34 भा.द.सं. का अपराध कायम करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, साक्षियों के

कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—10.03.2012 को दिन के 10:00 बजे ग्राम पोण्डी मेन रोड थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी कुमारी दीपा बघेल को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान या उसके समीप फरियादी कुमारी दीपा बघेल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दीपा बघेल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी दीपा बघेल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानती है, घटना के समय वह स्कूल पढ़ाने के लिये जा रही थी तो आरोपीगण उसे रास्ते में मिले और रास्ता रोककर उन्होंने धमकी दिया कि वह मनोज चौधरी से विवाह करेगी तो उसे जान से मार देंगे। आरोपीगण ने उसे मां—बहन की अश्लील गालियाँ दी जो उसे सुनने में बुरी लगी। उसने घटना की लिखित शिकायत थाना परसवाड़ा में प्रदर्श पी—1 के रूप में पेश की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उक्त आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—3 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी पन्नालाल रिश्ते में उसका मौसा तथा आरोपी लक्ष्मीप्रसाद रिश्ते में उसका भाई लगता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद की थी। साक्षी ने विलम्ब से रिपोर्ट लिखाये जाने का कारण समाज की मिटिंग बुलाये जाना प्रकट किया है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण मिटिंग आदि होना उल्लेखित है। इस प्रकार रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने के संबंध में साक्षी के द्वारा उचित रूप से स्पष्टीकरण पेश किया गया है।

6— बचाव पक्ष की ओर से तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में एक सप्ताह

के उपरांत थाने में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिसके कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। उक्त विलम्ब के संबंध में दीपा बघेल (अ.सा.2) ने रिपोर्ट 8-9 दिन बाद लिखाये जाने के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा चुनौती दिये जाने पर साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर की है तथा ठीक से याद न होना प्रकट किया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण से उसकी आपसी रंजिश के संबंध में चुनौती दिये जाने पर साक्षी ने इंकार किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना के समय फरियादी के द्वारा आरोपीगण से रिश्ते-नातेदारी होने के कारण मिटिंग बुलाये जाने और उसके उपरांत भी आरोपीगण में सुधार न आने से घटना के एक सप्ताह पश्चात् रिपोर्ट लेख किये जाने में हुये विलम्ब को अभियोजन मामले के लिये घातक नहीं माना जा सकता।

7— अभियोजन की ओर से फरियादी के भाई भूमेश (अ.सा.3) की साक्ष्य करायी गई है, जिसमें उसने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है उसे फरियादी दीपा ने घटना के पश्चात् घर पर आकर यह जानकारी दी थी कि आरोपीगण ने स्कूल जाते समय रास्ता रोका, उसे मनोज चौधरी से विवाह करने और जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि आरोपीगण द्वारा दीपा को गाली-गलौच करने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना घटित होते हुये नहीं देखा। इस प्रकार इस साक्षी को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन ने पेश नहीं किया है किन्तु साक्षी ने घटना के पश्चात् उसकी बहन फरियादी दीपा बघेल के द्वारा घटना का वृत्तांत बताये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की।

8— मनीषा (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में उसे घटना के बारे में कोई जानकारी न होना प्रकट किया है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में किसी प्रकार से नहीं किया है।

9— मनराखन (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के समय दीपा का विवाह मनोज चौधरी से तय हुआ था और आरोपीगण दीपा को मनोज से करने पर धमका रहे थे, जिस पर आरोपीगण को समझाने के लिये पंचायत हुई थी। पंचायत के दूसरे दिन आरोपीगण ने मनोज को भी डराया था, जिस पर उसे मनोज ने बताया था कि वह दीपा से विवाह नहीं कर सकता। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना घटित नहीं हुई थी, यदि उसके पुलिस कथन में वह घटना के समय उपस्थित रहने के बारे में बताया हो तो वह गलत है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के पुलिस कथन में घटना के समय उपस्थित होने का लेख नहीं है बल्कि समाज की मिटिंग में उपस्थित होने का लेख है। अतएव इस साक्षी के द्वारा समाज की मिटिंग में प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की गई है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

10— अनुसंधानकर्ता पुष्पेन्द्र पटले (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन

किया है कि वह दिनांक-18.03.2012 को थाना परसवाडा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को फरियादी दीपा बघेल के लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 के आधार पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेखबद्ध की थी। उसने विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार कर फरियादी दीपा एवं साक्षी मनराखन, ज्ञानेश्वर, दिपेश, कमलाबाई, मनीषा व मनोज के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था, उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में फरियादी के बताये अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने एवं उसके पश्चात् अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11- प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि एकमात्र साक्षी फरियादी दीपा की साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता क्योंकि घटना के संबंध में अभियोजन ने अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को पेश नहीं किया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन मामले के अनुसार घटना के समय आरोपीगण के द्वारा घटना स्थल पर फरियादी को रोककर अश्लील शब्दों का प्रयोग कर अपराध कारित किये जाते समय अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं थे बल्कि घटना के पश्चात् फरियादी दीपा ने घर पर जाकर उसके भाई को घटना की जानकारी दी थी, जिसकी पुष्टि फरियादी के भाई भूमेश (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में की है। घटना के पश्चात् फरियादी के द्वारा सामाजिक मिटिंग बुलाये जाने और आरोपीगण को समझाईश दिये जाने की पुष्टि मनराखन (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में की है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अभियोजन मामले के अनुसार साक्ष्य पेश की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से फरियादी के द्वारा कथित रूप से झूठी रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में कोई आधार या संदेह प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

12- अभियोजन की ओर से उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के अलावा अन्य साक्षियों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है किन्तु इस आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण की अखण्डित साक्ष्य से तथा उनके कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगति न होने से उनकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

13— फरियादी दीपा (अ.सा.2) ने उसकी लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप घटना के समय आरोपीगण द्वारा लोक स्थान में मां-बहन की अश्लील गालियाँ दिये जाने और उसे सुनने में बुरी लगने तथा उसे रास्ते में रोककर निश्चित दिशा में जाने से निवारित किये जाने की स्पष्ट साक्ष्य पेश की है, जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपीगण ने फरियादी कुमारी दीपा बघेल को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं लोकस्थान या उसके समीप फरियादी कुमारी दीपा बघेल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया।

14— फरियादी दीपा (अ.सा.2) ने कथित रूप से आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के तथ्य को साक्ष्य में स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया है, मात्र शादी करने पर जान से मार डालने की धमकी के शाब्दिक उच्चारण के अलावा उक्त धमकी को वास्तव में भा.द.वि. की धारा-503 में परिभाषित 'आपराधिक अभित्रास' का अपराध गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए, न कि शब्द। जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जो कि, वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसे कि, धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत नहीं हो वहां अपराध गठित नहीं होता। अपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि भयभीत करने का अथवा जिस व्यक्ति को भयभीत किया गया है, उसे व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए विवश करने का आशय होना चाहिए, जिसे करने के लिए वह वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य लोप करने के लिए विवश किया जाना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किए गए शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि, आरोपी क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से लगना चाहिए कि आरोपी अपने शब्दों को कार्यरूप में परिणित करने ही वाला है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा कथित जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान अन्तर्गत लोक स्थान फरियादी कुमारी दीपा बघेल को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं लोकस्थान में फरियादी कुमारी दीपा बघेल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया। अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 (भाग-2) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपीगण के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपीगण एवं उसके अधिवक्ता की ओर से दण्ड के प्रश्न पर निवेदन किया गया है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय फरियादी दीपा का सदोष अवरोध कर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित किया गया था। उक्त अपराध के विचारण में आरोपीगण वर्ष 2012 से न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। आरोपीगण का किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। ऐसी दशा में आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—(पाँच सौ रुपये) एवं 200/— (दो सौ रुपये) रुपये कुल 700—700/— (सात—सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपीगण जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट